पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

छोटा ओड़ा

ग्राम पंचायत - नवल श्याम

तहसील व ब्लॉक - बिछीवाड़ा

जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गांव का इतिहास - ओड़ा छोटा गाँव कई सौ सालों पहले चार भाइयों ने मिल के बसाया था। जिनमें से दो भाई ओड़ा बड़ा में और दो भाई ओड़ा छोटा में बस गये। जंगल में शेर और खूंखार जानवरों के डर से लोग पेड़ों पर छोटे-छोटे ओड़े(पेड़ पर अस्थाई आवास) बना कर उनमें छुप कर रहते थे। इसलिए यह गाँव ओड़ा छोटा के नाम से जाना जाने लगा। ओड़ा छोटा लगभग 250 साल पुराना गाँव है। इस गाँव में आदिवासियों के साथ पटेल और ब्राह्मण रहते थे। पहले गाँव घने जंगलों के बीच बसा था। धीरे-धीरे जंगल कम होते गए। आज जंगल सिर्फ नाम मात्र के बच गए हैं।

गांव का एक परिचय - डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में छोटा ओड़ा गांव बसा हुआ है जिसकी ग्राम पंचायत नवल श्याम और ब्लॉक तथा तहसील बिछीवाड़ा है। गांव में 96 परिवार रहते हैं जिसमें तीन फले नाड़ा फला, खराड़ी फला और पाटीदार फला है। आदिवासियों में खराड़ी, कलासुआ उपजातियाँ हैं। पिछड़ा वर्ग में पाटीदार और नाई हैं तथा सामान्य वर्ग में ब्राह्मण हैं। अनुसूचित जनजाति के 28 घर, पिछड़ा वर्ग के साठ घर तथा सामान्य वर्ग के 8 घर हैं। गांव की जितनी समतल कृषि भूमि है उस पर पटेल परिवारों का कब्जा है जिसमें धान, गेहूं, मक्का, गन्ना आदि फसल पैदा करते हैं। पशुपालन करके दूध का भी व्यवसाय करते हैं। उनके ज्यादातर परिवारों के नौजवान खाड़ी देशों में काम करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। गांव में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनकी दशा दयनीय है। उनकी खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान, पथरीली एवं उबड़ खाबड़ है, जिससे बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल ही होती है। जिसमें दो-चार महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है बाकी समय खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों में शिक्षा का अभाव है क्योंकि वह गरीबी के कारण बच्चों को पढ़ा पाने में असमर्थ है। कम उम्र में ही बच्चे परिवार की परवरिश के लिए कमाने के लिए बाहर शहरों में चले जाते हैं। गाँव में राशन की दुकान नहीं है वह तीन किलोमीटर दूर नवलश्याम में है। गाँव में कोई पंचायत भवन भी नहीं हैं जहाँ गाँव के लोग बैठ सके। गाँव में शिलालेख 2017 में हुआ। पेसा कानून की समझ अभी सभी गाँव वासियों को नहीं है। गाँव के लोगों को दैनिक खरीदारी के लिए 5 किलोमीटर दूर कनबा, 10 किलोमीटर दूर बिछीवाडा या 15 किलोमीटर दूर डूंगरपुर जाना पड़ता हैं।

आवागमन की स्थिति - गांव छोटा ओड़ा डूंगरपुर से बिछीवाड़ा मार्ग पर उत्तर दिशा में बसा हुआ है। कहीं आने जाने के लिए उन्हें 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर डूंगरपुर बिछीवाड़ा मार्ग पर भुवनेश्वर जाना पड़ता है। जहां से उनको बस, जीप और टेंपो मिलते हैं। गांव में पक्की सड़क से पटेल बस्ती जुड़ी हुई है। आदिवासी परिवार पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। चार पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। बरसात के दिनों में वहां पैदल चल पाना भी मुश्किल होता है। मुख्य सड़क से गांव में जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है। पैदल या अपने साधन से मुख्य सड़क तक आना पड़ता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गांव में मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र नवल श्याम में है, जो गांव से 3 किलोमीटर दूर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कनबा में है, जो गांव से 5 किलोमीटर दूर है। मरीज की स्थिति अगर गंभीर है तो उसको बिछीवाड़ा या डूंगरपुर ले जाना पड़ता है जो गांव से क्रमशः 10 एवं 15 किलोमीटर दूर है। पटेल बस्ती पक्की सड़क से जुड़ी होने के कारण उनको मरीज लाने ले जाने में सुविधा होती है। लेकिन आदिवासी परिवारों को 1 किलोमीटर पैदल मरीजों को चारपाई या झोली में डालकर गाँव की सड़क तक ले जाना पड़ता है। तब कहीं जाकर उनको साधन मिलता है। गाँव के आस-पास कोई दवा की दूकान भी नहीं है। दवा खरीदने के लिए क नबा जाना पड़ता हैं जो गाँव से 5 किलोमीटर दूरी पर हैं। पशु अस्पताल भी गांव में नहीं है। वह भी 5 किलोमीटर दूर कनबा में ही है।

गांव में दो प्राथमिक विद्यालय हैं। दोनों विद्यालयों में लगभग 100 बच्चे पढ़ते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय में 2 अध्यापक तथा दूसरे में एक अध्यापक हैं। अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ज्यादातर बच्चों को अक्षर ज्ञान तक नहीं है। पटेल परिवार अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं। जो लोग आर्थिक रूप से असमर्थ हैं उनके बच्चे ही सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। छठी से बारहवीं तक पढ़ने के लिए दो किलोमीटर दूर नवल श्याम जाना पड़ता है और डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए 15 किलोमीटर दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है।

गांव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है

आवागमन की कमी - डूंगरपुर बिछीवाड़ा मुख्य सड़क से मात्र एक पक्की सड़क गांव में आती है और वह भी गांव की केवल पटेल बस्ती तक ही है। अन्य फलों के लिए कच्चे रास्ते या पगडंडी है। मुख्य सड़क तक कोई साधन नहीं है। लोग 2 से 3 किलोमीटर पैदल आते जाते हैं। बरसात में आदिवासी फलों में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। नीचे के रास्तों में कीचड़ भर जाता है। पहाड़ी रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, जिनको आर.सी.सी. सड़क या समतल करने की बेहद जरूरत है। अभी वहां केवल पैदल ही आना जाना पड़ता है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गांव की जितनी भी समतल जमीन है वह पाटीदार परिवारों के कब्जे में है और गांव का चरागाह जो पहाड़ियों पर है, उस पर भी पाटीदारों का कब्जा है। आदिवासियों के पास जो जमीन है वह पहाड़ों की ढलान पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है जिससे उनके पास कृषि लायक भूमि नहीं है। किसी तरह से बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गांव के समतल जमीनों और कुछ पहाड़ियों के ढलान पर खेती होती है लेकिन बाकी खाली पड़ी जमीनों और पहाड़ियों के उपयोग का गांव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। जमीनों और पहाड़ियों को कब्जे में लेकर उसे उसी तरह छोड़ दिया गया है। ज्यादातर पहाड़ियां ना तो उनके नाम है न हीं उनको अभी तक अधिकार पत्र ही मिले हैं।

गांव में एक नाला है जिस पर दो एनीकट बने हुए हैं दोनों एनीकट टूट गए हैं और बरसात के बाद पानी रिस कर निकल जाता है गांव में कुछ कुए जो नाले के नजदीक हैं उनमें वर्ष भर पानी रहता है। सिंचाई के लिए लोगों ने के ट्यूबवेल लगा रखे हैं जिनमें बरसात के बाद जल स्तर नीचे चला जाता है जिससे नालों से दूर के कुएं गर्मियों में सूख जाते हैं। अभी तक जल स्तर को ऊंचा करने की योजना गांव के लोगों के पास कुछ भी नहीं है। गांव के पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोग ट्यूबवेल का पानी पीते हैं जिससे फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ जाती है। इसके बारे में लोगों की कोई योजना नहीं है न ही गांव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए कोई आर. ओ. प्लांट ही है। गांव में जो हैंडपंप लगे हैं वह भी पाटीदार बस्ती में ज्यादा है और वह भी उनके व्यक्तिगत कब्जे में हैं। आदिवासी परिवारों के लिए बहुत कम हैंडपंप है जिससे उनको गर्मियों में पीने के पानी के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर पानी के प्रबंधन की उनके पास अभी तक कोई योजना नहीं है। वह सिंचाई के लिए हो, जल स्तर ऊँचा करने के लिए हो अथवा शुद्ध पीने के पानी के लिए हो।

कृषि और रोजगार की स्थिति - गाँव की जितनी भी समतल जमीन है वह पाटीदारों के कब्जे में है जिस पर वह धान, गेहूं, मक्का, उड़द, गन्ना और सब्जियों आदि की खेती करते हैं जो उनके खाने के अलावा बेचने के लिए भी बच जाती है। वह पशुपालन में भैंस, गाय और बैल भी रखते हैं जिनसे कंपोस्ट खाद तैयार करके खेतों में भी डालते हैं जिनसे उनकी उपज अच्छी होती है। पहाड़ों की ढलान और पहाड़ों की घाटी में भी कुछ समतल भूमि है जिस पर पाटीदारों का ही कब्जा है। आदिवासियों पास पथरीली, ऊबड़-खाबड़, पहाड़ी की ढलान वाली ही जमीन है जिन पर वह खेती करते हैं। वह भी मात्र एक फसल की खेती कर पाते हैं। उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। उनके पास इतनी कृषि भूमि भी नहीं है कि वह लोग सिंचाई की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था कर सके इसलिए उनके पास साल में दोतीन महीने खाने भर का मक्का- और उड़द पैदा होती है बाकी समय वह खरीदकर ही खाते हैं।

पाटीदार परिवार के युवा पढ़कर खाड़ी देशों में रोजगार के लिए चले जाते हैं। लगभग हर परिवार से कोई ना कोई युवा खाड़ी देश में रोजगार कर रहा है जो लोग वहां नहीं जा पाते हैं वह लोग कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं। खेती की जमीन ज्यादा होने से कुछ लोग कृषि में भी लगे रहते हैं और दूध का भी व्यवसाय करते हैं। बाकी आदिवासियों के पास कृषि भूमि कम होने के कारण वह मनरेगा में मजदूरी करते हैं या गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। जहां वह 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल नाला कुआं हैंडपंप ट्यूबवेल	गांव से एक नाला निकलता है जिस में बरसात में पानी भरा रहता है। नाले पर दो एनीकट बने हैं लेकिन वह टूट गए हैं जिसके कारण बरसात के बाद पानी रिस कर निकल जाता है। कुँए जो नाले के पास है उनमें तो	नाले के दोनों एनीकट अगर मरम्मत करके ठीक कर दिए जाएं तथा उस नाले पर और एनीकट बनाया जाए और गांव के पहाड़ों के दर्रे पर एनीकट का निर्माण कर दिया जाए तो गांव के लोगों की सिंचाई का संकट दूर हो

	पानी पूरे वर्ष रहता है जो नाले से दूर हैं वह गर्मियों में सूख जाते हैं। हैंडपंप ज्यादातर पटेल बस्तियों में है जो व्यक्तिगत कब्जे में हैं। वह लोग दूसरे को पानी नहीं लेने देते हैं। कुछ हैंडपंप खराब भी पड़े हैं। सिंचाई के लिए पाटीदार परिवार के हर घर में लगभग ट्यूबवेल है जिससे वह अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं लेकिन गर्मियों में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण उनके ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है।	सकता है। तो जलस्तर भी ऊंचा हो जाएगा। और गांव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गांव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	गांव में समतल, पहाड़ी ढलान, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन तथा पहाड़ है। समतल जमीन काफी उपजाऊ है। गांव में बिला नाम जमीनें भी है जिस पर लोगों का कब्जा है। गाँव में चारागाह भी है लेकिन वह पहाड़ियों पर है। जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। गांव की संपूर्ण चरागाह भूमि पर पाटीदार परिवारों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है बाकी जमीनें असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है।	गांव की कुछ जमीनों का समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। चारागाह भूमि, जो पहाड़ियां बिला नाम की हैं तथा गाँव की बेकार पड़ी जमीनों को गांव सभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं उस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है और वह जमीन खाली पड़ी है तो उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। सब्जी की खेती भी करके आय बढ़ाई जा सकती है।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी -गांव में पाटीदार परिवार खेती के लिए बैलों को पालते हैं और दूध के व्यवसाय के लिए गाय और भैंस भी पालते हैं उनके पास अच्छी और उपजाऊ कृषि भूमि होने से चारे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। गांव के चरागाह और पहाड़ियों पर उनका कब्जा होने से जो घास मिलती है वह उनके चारे की कमी को पूरा कर देती है। चारे का अभाव नहीं होने से दूध के व्यवसाय से उनको अच्छी आमदनी हो जाती है। आदिवासी परिवारों में चारे के संकट के कारण पशुपालन नहीं हो पाता। कुछ लोगों के पास 1-2 गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। गाय एक से डेढ़ लीटर दूध देती है जो केवल बच्चों के पीने के काम आता है। बकरी पालन भी कर पाना उनके लिए कठिन है क्योंकि उनको चारा चराने की जगह उनके पास नहीं है। गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिती में नहीं हैं।

आजीविका के साधनों की कमी- खेती, पशुपालन और मनरेगा में मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गांव में नहीं है। जिन लोगों के पास खेती ज्यादा है वह लोग कृषि और पशुपालन में लगे हैं। उनके बच्चे भी बेहतर जीवन की तलाश में खाड़ी देशों में नौकरी करने चले जाते हैं वहां से पैसा कमा कर जब वह लोग वापस आते हैं तो गांव के निकट के बाजार में अपनी कोई दुकान या व्यवसाय कर लेते हैं। जिनके पास कृषि भूमि कम है उन परिवारों के लोगों को गुजरात के शहरों में दैनिक मजदूरी करने जाना पड़ता है क्योंकि मनरेगा में काम भी 60-70 दिन ही मिलता है और मजदूरी भी 80-90 रु. प्रति दिन ही मिलती है जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - ज्यादातर गांव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। पेंशन, आवास श्रमिक कार्ड नहीं है। जिन लोगों के आवास बने भी हैं तो उनका भुगतान बाकी है। सौ दिन काम नहीं मिलने से वह श्रमिक कार्ड से वंचित हैं। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र भी हो चुकी है लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उम्र संशोधन कराने की एक तो जानकारी नहीं है और दूसरा अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। कभी-कभी उनसे इसके लिए शुल्क के अलावा अतिरिक्त पैसे की भी मांग की जाती है। यही हाल राशन की दुकानों पर भी है। कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। कभी कभी राशन की गुणवत्ता खराब होती है। गेहूं के

अलावा ना तो उनको चावल और चीनी मिलती है और न ही मिट्टी का तेल मिलता है जिसके कारण लोगों को रात अंधेरे में बितानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को पढ़ने की होती है क्योंकि बिजली भी समय से नहीं मिलती है और जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

खनन - गांव में पहाड़िया है लेकिन खनन नहीं हो रहा है। गांव की तीन पहाड़ियों को गुजरात की किसी व्यापारी ने खरीद लिया है। गांव वालों के साथ बातचीत से पता चला है कि वहां खनन करने या उद्योग लगाने की योजना बनाई जा रही है। वह तीनों पहाड़ियां आबादी से सटी हुई है।

गांव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं,उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक	वरीयता
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में पाटीदार फले तक पक्की सड़क हैं। पाटीदार सम्पन्न होने के साथ साथ प्रभावशाली भी हैं। बाकी आदिवासियों के फले तक केवल कच्चा रास्ता/पगडंडी हैं। सी. सी. सड़क भी जो बनी है वह पाटीदार फले में ही है। पंचायत द्वारा निर्माण में भी पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने से आदिवासी फले के लोग रास्ते के संकट से जूझ रहे हैं।	गांव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत की एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते का संकट का समाधान होने की संभावना है।	**तात्कालिक**	3
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गाँव में बच्चों के शिक्षा का स्तर एकदम निम्न है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए न तो अध्यापक है और न हीं कमरे हैं सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता और उनकी शिक्षा नीति के कारण न तो अध्यापकों की नियुक्ति हो पा रही है न ही कमरों का निर्माण हो पा रहा है।	इस समस्या के समाधान के लिए गांव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए ब्लॉक के अन्य गांवों की भी मदद ली जाएगी।	**तात्कालिक**	1
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गांव में पहाड़ों की संख्या ज्यादा होने से आदिवासी परिवारों कृषि योग्य भूमि कम है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गांव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नत शील बीज और खाद का अभाव है।	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गांव के नाले में पानी रोकने की योजना। खेती के साथ साथ बागवानी पर विशेष ध्यान देना।	**तात्कालिक**	4
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान**	**व्यक्तिगत**	गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास	गांव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन	**तात्कालिक**	5

	संबधी समस्या		नहीं बना सकते हैं। गांव में जिन लोगों को आवास की बेहद जरूरत है उनके आवास नहीं बने हैं। जो सक्षम लोग हैं उनके आवास बन गए हैं। जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का भुगतान नहीं हुआ है।	कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।		
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	लोग कई पीढ़ियों से गांव में बसे हैं लेकिन जितनी भूमि पर वह काबीज है उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है।	काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबीज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	**दीर्घकालिक**	6
6	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गांव में पीने के पानी में के लिए हैण्डपम्प वांछित स्थानों पर नहीं हैं। पीने का पानी आदिवासियों को पैदल चल कर लाना पड़ता है। फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। जिसके लिए आर.ओ. भी नहीं है। बोरवेल ज्यादा लगने और बरसात का पानी गांव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। गर्मियों में पीने के पानी का संकट इतना बढ़ जाता है कि भुवनेश्वर से भी पानी लाना पड़ता है।	शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**	2

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन -	पक्की सड़क केवल प्रभावशाली	रास्ते ठीक होने से गांव में	गांव कमेटियों का मजबूत

गांव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	फलों तक कच्चे रास्ते को आर.सी.सी. नहीं करना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना।	साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	ना होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।
जल नाला कुआं बोरवेल हैंड पंप	नाले पर दो एनीकट है लेकिन टूटे हुए हैं। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। कुओं को रिचार्ज नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गांव के लोगों की जागरूकता में कमी।	पुराने एनीकट की मरम्मत और नए एनिकट बनाना। बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गांव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
आजीविका के साधन	गांव की सभी पहाडियाँ और बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हैं, गांव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती कीजमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	गांव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गांव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गांव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा-

नजरिया नक्शा छोटा ओड़ा

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना मेंप्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	**पेंशन के संबंध में** वृद्धा पेंशन पालनहार (जो 6 से 18 वर्ष का है) विकलांग पेंशन	 4 1 1	 3 1 1
2	प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास निर्माण	32	32
3	बकाया किस्त भुगतान (आवास)	17	17
4	शौचालय निर्माण (बकाया किस्त के संबंध में)	31	31
5	शौचालय निर्माण नए आवेदन संख्या 8 है संबंध में	8	8
6	**विद्यालय के संबंध में** **(अ) प्राथमिक विद्यालय नाडाफला** छत मरम्मत शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था के लिए आर. ओ. प्लांट विद्यालय परकोटा निर्माण शौचालय में पानी की व्यवस्था **(ब) प्राथमिक विद्यालय छोटाओड़ा** छत मरम्मत शौचालय निर्माण आर. ओ. प्लांट लगवाना	2	--
7	आंगनवाड़ी भवन निर्माण **छोटाओड़ा** विद्यालय के पीछे **नाड़ा फला** विद्यालय के पास आंगनवाड़ी भवन	2	100
8	राशन की दुकान खोलने के संबंध में	1	300
9	रास्ता निर्माण के संबंध में सीसी सड़क मरम्मत 500 मीटर नई सीमेंट कंक्रीट सड़क 5000 मीटर एक पुलिया निर्माण कच्चा रास्ता 500 मीटर	7	--
10	हैंडपंप मरम्मत नया हैंडपंप लगवाने के संबंध में प्रस्ताव	8 14	100 142
11	आर. ओ. प्लांट	3	140
12	चेकडैम निर्माण	26	26
13	एनीकट मरम्मत एनीकट निर्माण	2 5	-- --
14	खेत समतलीकरण मेड़बंदी कुआं गहरीकरण मरम्मत एवं पशुवाडा निर्माण	59	--
15	आपसी विवाद गांव सभा में शांति समिति द्वारा निपटाने के संबंध में	1	समस्त गाँव के परिवार
16	सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के संबंध में - जैसे मौताणा, डायन प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम	1	समस्त गाँव के परिवार
17	सार्वजनिक कुआं मरम्मत	1	--
18	उप स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक विद्यालय छोटा ओढ़ा के पास खोलने के संबंध में	1	समस्त गाँव के परिवार

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया– फोटो गैलेरी

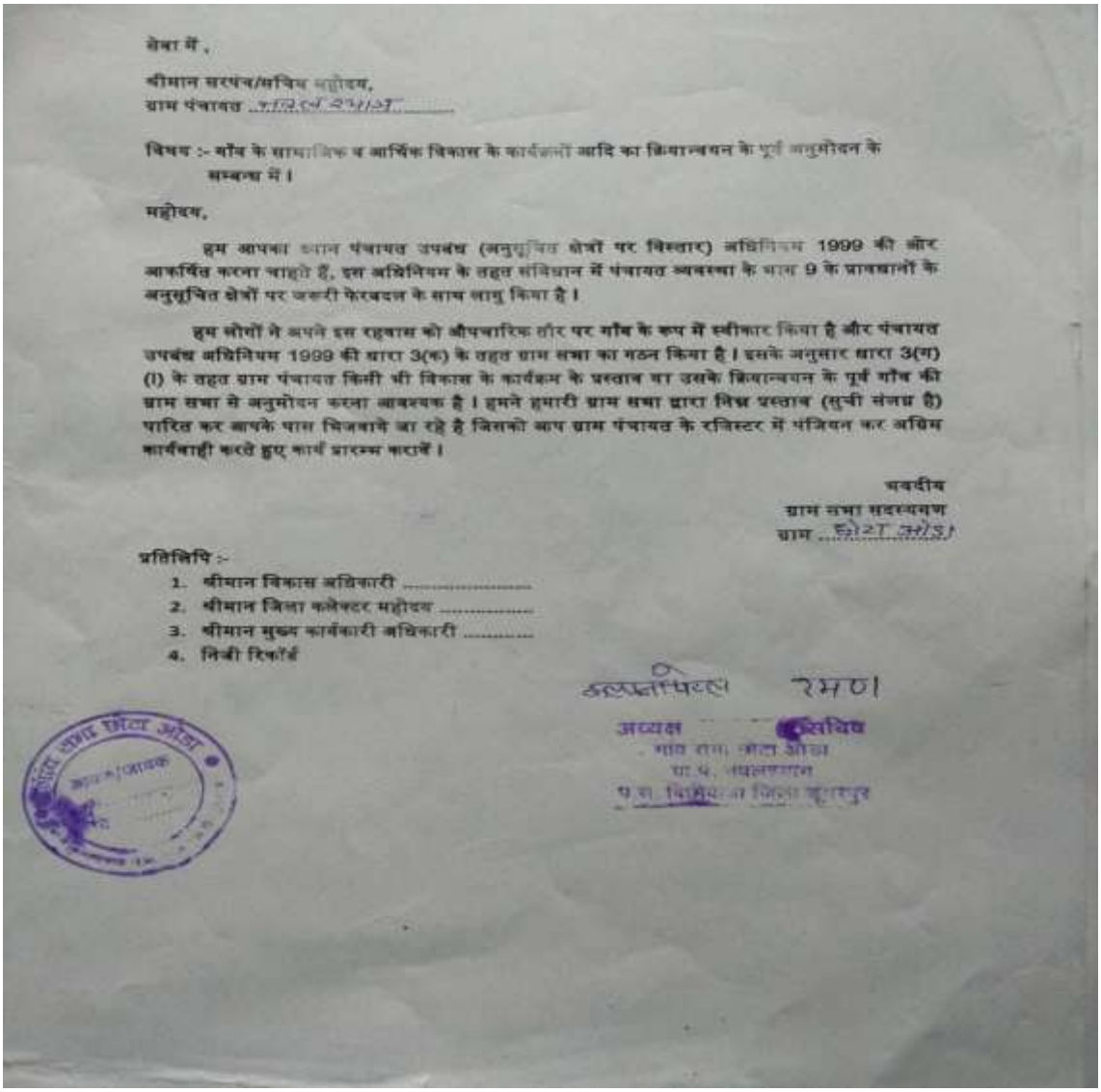

सेवा में ,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत .....

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागू किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग) (I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सूची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाने जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम .....

प्रतिलिपि :-
1. श्रीमान विकास अधिकारी .....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय .....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी .....
4. निजी रिकॉर्ड

अध्यक्ष सचिव

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

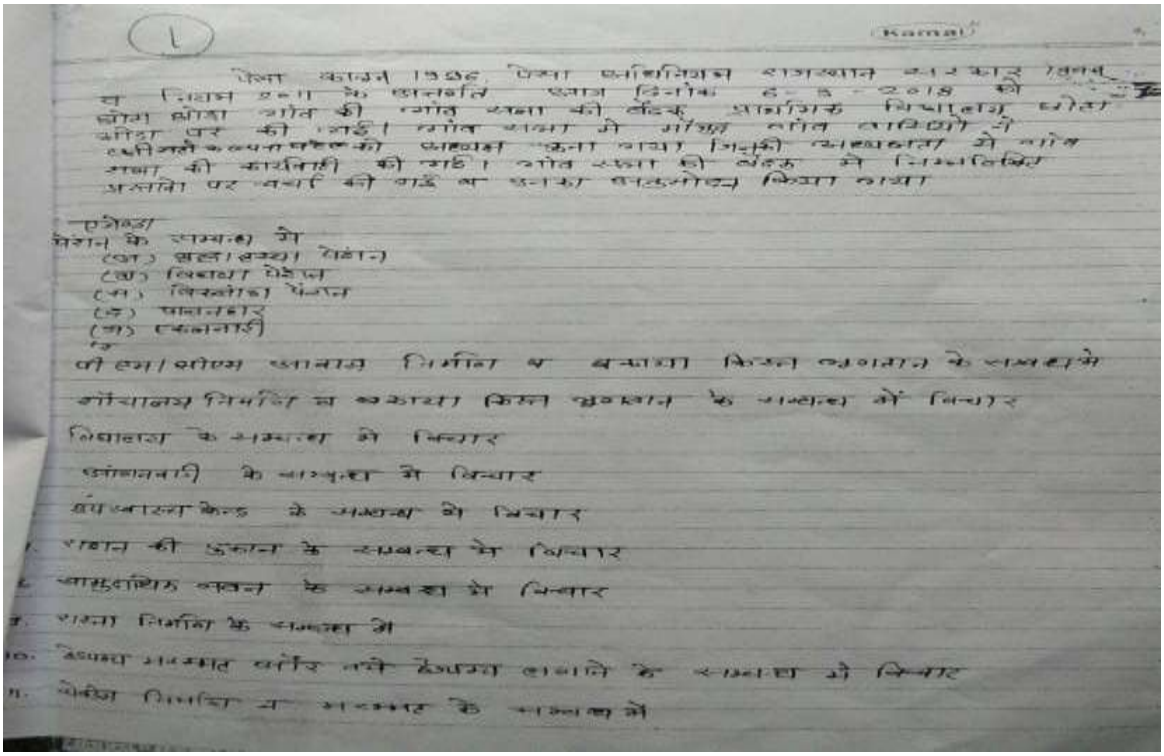

प्रस्ताव प्रथम पेज

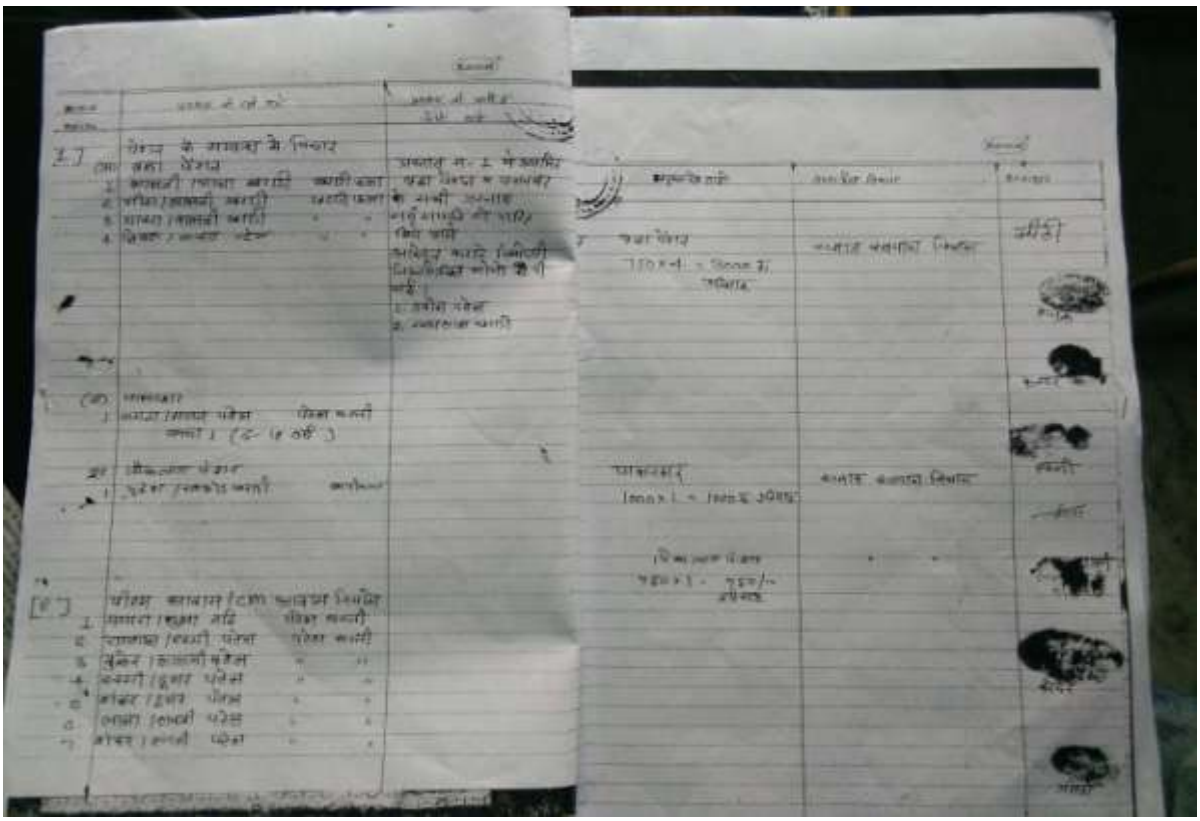

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (V.P.F.T.) के सदस्यों नाम और फोन नं.

नाम	फोन न.
1. रमिला खराड़ी -	8769454787
2. गोवर्द्धन डामोर -	8107766631
3. मोहनलाल नाई -	9001948094
4. लालू नानालाल खराड़ी -	9982828684
5. तेजपाल पटेल -	9772164449